संख्या– 274 /VI/2005–257 पर्य0/2003

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपरसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन,पटेलनगर,
देहरादून।

पर्यटन अनुभागः

देहरादूनः दिनांकः 18 मई,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राविधानित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु अनुदान मद की धनराशि के आवंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–527A/XXVII(I)/2005,दिनांक 26 अप्रैल2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5.00 करोड़(रूपये पांच करोड़ मात्र)की धनराशि को व्यय करने हेतु निदेशक, पर्यटन निदेशालय के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त व्यय की स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि इसका आहरण कोषागार से यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का किसी ऐसे व्यय करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय विवरण,वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें।निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग के उपरांत इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च,2006 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

7– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–07–ऋण उपादान/स्वरोजगार योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–344/वित्त अनु0–3/2005,दिनांक20मई,2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहें है।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्या– /VI/2005–257 पर्य0/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी,सहारनपुर रोड,देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3– श्री एल0एम0पंत,अपर सचिव,वित्त विभाग,उत्तरांचल शासन।
4– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
7– समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी,उत्तरांचल ।
8– निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
9– वित्त अनुभाग–3
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।